राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

: निर्णय :

इम्तियाज बनाम राजस्थान राज्य

एकल पीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या: 1073/2004
अन्तर्गत धारा 482 दं.प्र.सं., विरूद्ध आदेश दिनांक
12.10.2004, जो विविध दाण्डिक आवेदन संख्या
26/2004 में विशिष्ठ न्यायाधीश, अ0जा0/अ0ज0जा0
(अ0नि0प्र0), प्रतापगढ द्वारा पारित किया गया।

निर्णय दिनांक : **4** अप्रेल, 2005

-: उपस्थित:-

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार आचार्य

प्रार्थी के अधिवक्ताश्री रमेश पुरोहित,
जन अभियोजक श्री ओ.पी.राठी, उपस्थित।

न्यायालय द्वारा:

यह याचिका धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्त-प्रार्थी इम्तियाज की ओर से प्रस्तुत हुई है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.10.2004 को इस न्यायालय के सामने चुनौती दी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 7 एवं 49 किशोर न्याय (देखभाल व संरक्षण) अधिनियम, 2000 का, जो अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से

दिनांक 16.2.2004 को अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ठ न्यायालय, अ 0 जा0/अ 0 ज 0 जा0 (अ 0 नि0 प्र 0), प्रतापगढ के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2004 को खारिज कर दिया, जिसकी नाराजगी में यह याचिका प्रस्तुत हुई। याचिका प्रस्तुत होने पर जन अभियोजक को नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अग्रिम कार्यवाही स्थगित की गई।

अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अभियुक्त के विरूद्ध एक चार्जशीट धारा 302 भा.दं.सं. व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत दिनांक 19.10.2003 को पेश की गई थी जिसमें दिनांक 3.2.2004 को आरोप की विरचना की जाकर पत्रावली साक्ष्य के लिए नियत की गई थी। दिनांक 16.2.2004 को अभियुक्त की ओर से धारा 7 सपठित धारा 49 किशोर न्याय (देखभाल व संरक्षण)अधिनियम, 2000 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसकी जन्म तिथि 10.5.1986 है और घटना दिनांक 19.10.2003 की है, उस समय वह मात्र 17 साल 5 माह का ही था और किशोर की परिभाषा में आता था, अत: यह प्रकरण किशोर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रार्थना-पत्र के समर्थन में ए.ड.1 कादर खां, ए.ड.2 मोहम्मद इब्राहिम मोलाना व प्रदर्श ए.1 दस्तावेज साक्ष्य में लिए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों ही गवाहों के बयान व प्रदर्श ए.1 को विश्वसनीय नहीं पाया। मदरसे का कोई रेकर्ड पेश नहीं किया गया इस

आधार पर जो दस्तावेज पेश किया गया उसे विश्वसनीय नहीं माना गया और अभियुक्त की उम्र गिरफ्तारी में व रिमाण्ड कागजात में 21 वर्ष लिखी हुई है, इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की और देरी से यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए और न्यायालय ने भी स्वयं अपनी ओर से प्रार्थी के शारीरिक गठन को देखते हुए यह प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध यह याचिका प्रस्तुत हुई है।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से बहस की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ए.ड.1 कादर खां व ए.ड.2 मोहम्मद इब्राहिम मोलाना के बयानो को नहीं मानने में गलती की है और प्रदर्श ए.1 स्कूल के प्रमाण-पत्र को भी नहीं मानने में कानूनी गलती की है और प्रार्थना-पत्र खारिज करके न्याय का हनन किया है और न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का स्वयं का कर्तव्य था कि वे इस प्रकरण की पूर्ण रूप से जांच करते तथा यदि उन्हें अन्य रेकर्ड मदरसे के रेकर्ड की आवश्यकता थी तो उसे तलब करके संतुष्टि करनी चाहिए थी। मात्र पुलिस रेकर्ड देखने के आधार पर और पुलिस में कोई एतराज नहीं किया उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाना कतई उचित व समीचीन नहीं था। अत: अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे।

इसके विपरीत योग्य जन अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के समर्थन में बहस की और तर्क किया कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया, रिमाण्ड पर लिया उस समय कोई एतराज नहीं किया और देरीना स्टेज पर आकर यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है और अधीनस्थ

न्यायालय ने जो कारण लिखा है इसमें हस्तक्षेप के कोई आधार नहीं है।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त द्वारा अपने तर्क समर्थन में 2004 (1) आर.क्रि.डी. 228 (राज.) इस न्यायालय का विनिश्चय प्रस्तुत किया। इसके साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय 1984 क्रि.लॉ.रि. 1 (गोपीनाथ घोष बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल) विनिश्य भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और तर्क किया कि इस प्रकरण में 21 वर्ष की उम्र बताई गई थी। ऐसे प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का कर्तव्य बनता था कि वे अभियुक्त की मेडीकल बोर्ड से जांच करवाते और अभियुक्त को पूर्ण रूप से साक्ष्य का अवसर देते उसके बाद संतुष्टि अनुसार अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिए थी। इस प्रकार उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय बिना पूर्ण रूप से जांच किए व संतुष्टि के जो आदेश पारित किया है वह उचित नहीं है और अपास्त किया जावे।

मैंने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व रेकर्ड का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जिसमें ए.ड.1 कादर खां एवं ए.ड.2 मोहम्मद इब्राहिम को देखा और प्रदर्श ए.1 मदरसे द्वारा जारी उम्र के प्रमाण-पत्र का अवलोकन किया और इस पर विश्वास नहीं किया, उसका आधार यही रहा कि मदरसे का असल रेकर्ड नहीं आया। इसके विपरीत फर्द गिरफ्तारी में 21 वर्ष उम्र लिखी उसकी कोई आपत्ति नहीं करना और शारीरिक गठन आदि देखकर वाका हुआ तब 18 वर्ष से अधिक उम्र मानी, ऐसा प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय का

यह साक्ष्य का मूल्यांकन कतई उचित नहीं है। जहां उम्र की जांच करनी हो कि कोई अभियुक्त किशोर है अथवा नहीं, न्यायालय का विशेष कर्तव्य बन जाता है कि वह इसकी जांच विस्तृत में करे और यदि स्कूल का रेकर्ड उपलब्ध नहीं था तो असल रेकर्ड मंगाना चाहिए था। ए.ड.2 के बयानो में स्पष्ट आया है कि प्रदर्श ए-1 मदरसे का रेकर्ड देखकर प्रमाण-पत्र दिया जिसमें इम्तियाज की जन्मतिथि 10.5.1986 बताई गई है। देवल्दी मदरसे में जाकर रेकर्ड देखा उसके बाद प्रमाण-पत्र दिया। प्रदर्श ए-1 पर यदि किसी प्रकार का भी शक न्यायालय को था तो असल रेकर्ड स्वयं को तलब करना चाहिए था। इस प्रकरण में मात्र साक्ष्य प्रार्थीगण की हुई है, राज्य सरकार द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। प्रार्थी के पिता के बयान और स्कूल और मदरसे के अध्यापक मोहम्मद इब्राहिम के बयान से दिनांक 10.5.1986 जन्म तिथि होना पाई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मात्र यह कहना कि शारीरिक गठन उसका ऐसा है कि वह 18 साल से अधिक लगता है, यह मात्र उनके स्वयं के निरीक्षण के आधार पर है, जो सही उम्र का नतीजा नहीं निकाल सकता। पुलिस द्वारा 21 वर्ष की उम्र लिखना और कोई एतराज नहीं करना, यह अभियुक्त के हाथ में नहीं था। देरीना प्रार्थना-पत्र देने का कोई भी असर ऐसे प्रकरणों में नहीं पड़ता। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (सुप्रीम कोर्ट) 1984 (गोपीनाथ घोस बनाम दी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल) वाले विनिश्चय के पैरा 13 में स्पष्ट रूप से निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :

> "We are of the opinion that whenever a case is brought before the Magistrate and the accused appears to be aged 21 years or below, before proceeding with the trial or undertaking an

> inquiry, an inquiry must be made about the age of the accused on the date of the occurrence. This ought to be more so where special acts dealing with juvenile delinquent are in force. If necessary, the Magistrate may refer the accused to the Medical Board or the Civil Surgeon, as the case may be, for obtaining credit worthy evidence about age. The Magistrate may as well call upon accused also to lead evidence about his age. Thereafter, the learned Magistrate may proceed in accordance with law. This procedure, if properly followed, would avoid a journey upto the Apex Court and the return journey to the grass-root court. If necessary and found expedient, the High Court may on its administrative side issue necessary instructions to cope with the situation herein indicated."

इसी प्रकार इस न्यायालय द्वारा भी 2004 (1) राजस्थान क्रिमिनल डिसीजन 228 (राजस्थान) (रोशनलाल बनाम राजस्थान राज्य) वाले प्रकरण में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त विनिश्चय को आधारित किया है और निर्णय पारित किया है।

उपरोक्त दोनों विनिश्चयों के बाद इस प्रकरण के तथ्यों पर आवें, इस प्रकरण में प्रार्थी की साक्ष्य से स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ था कि अभियुक्त की उम्र 10.5.1986 होना पाई गई है जो मदरसे के प्रमाण-पत्र प्रदर्श ए-1 से स्पष्ट है। यदि इस प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई शक था तो अधीनस्थ न्यायालय को असल रेकर्ड तलब कराना चाहिए था और असल रेकर्ड तलब कराने के बाद ही अपनी संतुष्टि करनी थी और यदि आवश्यकता प्रतीत होती तो अभियुक्त का मेडीकल मुआयना भी मेडीकल बोर्ड से कराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस सम्बन्ध में जांच अधूरी की है और अभियुक्त को किशोर नहीं मानने में गलती की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.10.2004 अपास्त काबिल अपास्त है और अधीनस्थ न्यायालय को

हिदायत दी जाती है कि वे इस प्रकरण में देवल्दी मदरसे से असल रेकर्ड तलब करे, जो ए.ड.2 मोहम्मद इब्राहिम के बयानो में आया है कि देवल्दी मदरसे का रेकर्ड देखकर यह प्रमाण-पत्र दिया गया था, तत्पश्चात् अभियुक्त की उम्र के बारे में यदि मेडीकल मुआयने की भी आवश्यकता हो तो मेडीकल बोर्ड से उसकी जांच करवाई जावे और प्रकरण की पुन: नियमानुसार अग्रिम जांच करके फ्रेश आदेश दोनों पक्षों को सुनकर पारित करे।

उपरोक्त प्रकार से यह विविध याचिका स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2004 अपास्त किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय को हिदायत दी जाती है कि प्रदर्श ए-1 प्रमाण-पत्र, जो अभियुक्त की उम्र के सम्बन्ध में दिया गया और जिसमें उसकी उम्र 10.5.1986 बताई गई है, इसके सम्बन्ध में असल रेकर्ड सम्बन्धित देवल्दी मदरसे से तलब करे और जांच करके अपना निर्णय करे। अधीनस्थ न्यायालय चाहे तो अभियुक्त का मेडीकल बोर्ड से मुआयना भी करवा सकता है और चिकित्सक के बयान भी लिख सकता है। इस प्रकार यह प्रकरण पुन: नियमानुसार जांच करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है, यह जांच अधीनस्थ न्यायालय इस आदेश की प्राप्ति तिथि से एक माह में पूर्ण करे।

(न्‍ यायाधिपति कृष्‍ ण कुमार आचार्य)

जी.एन.शर्मा